3 pages

पूर्वोत्तर रेलवे

427

1/217/2017

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

ई0पी0सं0–8-39
क्रमांक– 217/2017
आरबीई सं0–140/2017
सं0 ई/205/3/भाग–7/चार

दिनॉक 11–10–2017

सचिव/महाप्रबन्धक
सचिव/अपर महाप्रबन्धक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
सभी कार्मिक अधिकारी
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषयः–ग्रेड पे 1300 में रू. 4440–7440 (छठे केन्द्रीय वेतन आयोग) में और ग्रेड पे के बिना । एस वेतनमान में कर्मचारियों का वेतन निर्धारण।

रेलवे बोर्ड का पत्र सं0 पीसी–VII/2016/1/6/1 दिनांक 28.09.2017 की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक/यथोपरि

(यू0 पी0 सिंह)
उपमुकाधि/अराज.
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर – 40 प्रतियों में।
2– महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूउरे/गोरखपुर – 02 प्रतियों में।
3– महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूउरे/गोरखपुर – 02 प्रतियों में।
4– पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर – 01 प्रति में।
5– महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोर0–02 प्रतियों में।
6– मुकार्याधी/एमपीपी को बेबसाइट पर अपलोड हेतु – 01 प्रति में।

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

2/217/2017

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD

पीसी-VII सं.- 63
आरबीई सं. 140/2017
सं. पीसी-VII/2016/I/6/1 नई दिल्ली, दिनांक:28.09.2017

आदेश

विषय: ग्रेड पे **₹1300** में **₹ 4440-7440** (छठे केन्द्रीय वेतन आयोग) में और ग्रेड पे के बिना 1एस वेतनमान में कर्मचारियों का वेतन निर्धारण।

संशोधित वेतन नियम, 2016 के तहत वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नई वेतन संरचना में ग्रेड पे ₹ 1300 के वेतनमान ₹ 4440-7440/- के 1एस में कर्मचारियों की मौजूदा वेतन संरचना को बदलने की कोई रूपरेखा नहीं दी गई है। अत:, कर्मचारी संघों द्वारा की गई मांगों का संज्ञान लेने के बाद 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की वेतन संरचना की तर्ज पर इसे शामिल करने का प्रस्ताव क्रियान्वयन कक्ष/वित्त मंत्रालय को अग्रेषित किया गया था।

2. वित्त मंत्रालय के अनुमोदन से अब यह निर्णय लिया गया है कि संशोधनपूर्व के 1एस वेतनमान के स्थान पर 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के क्रियान्वयन के बाद लागू वेतन मैट्रिक्स का लेवल-**1** रखा जाएगा। उन कर्मचारियों जिनका वेतन 1एस वेतनमान में है, का वेतन संशोधित वेतनमान (संशोधित वेतन) नियम, 2016 के नियम-7 के अनुरूप लेवल-1 में रखने के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.57 का उपयोग करके संशोधित किया जाए। संशोधनपूर्व -1एस वेतनमान में ₹7000/- के संशोधनपूर्व वेतनमान से कम के सभी संशोधनपूर्व वेतन स्तरों के संबंध में उसी तर्ज पर बंचिंग का लाभ निर्धारित करने पर विचार नहीं किया जाएगा जिसे बंचिंग के कारण लाभ प्रदान करने से संबंधित बोर्ड के दिनांक 27.09.2017 (आरबीई सं. **139/2017**) के पत्र के तहत परिपत्रित व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के दिनांक 03.08.2017 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा सुस्पष्ट किया गया है।

(जया कुमार जी)
उप निदेशक, वेतन आयोग-**VII**
रेलवे बोर्ड

560
Dy eps/ 1104
5/10/17

Ch OS / Ruling
पत्यावित ध्यान कराएं।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
RAILWAY BOARD

PC-VII No. 63
RBE No.140/2017

No. PC-VII/2016/I/6/1

New Delhi, dated: 28/09/2017

ORDER

Sub: Fixation of employees in 1S scale of ₹ 4440-7440 in GP 1300 (6th CPC) and without GP.

The new pay structure notified by Ministry of Finance vide Revised Pay Rules, 2016 has not provided a framework for replacement of existing pay structure of employees in -1S scale of ₹ 4440-7440 GP ₹ 1300 (6th CPC) and without GP. Therefore, a proposal for aligning the same on lines of 7th CPC pay structure was forwarded to Implementation Cell/Ministry of Finance, after taking cognizance of the demands raised by Staff Federations.

2. Now, with the approval of MoF, it has been decided that Level-1 of the Pay Matrix introduced on implementation of the 7th CPC report be the replacement for the pre-revised -1S scale. The pay of those governed by the -1S scale may be revised by using the Fitment Factor of 2.57 for placement in Level-1 in conformity with Rule-7 of the RS(RP) Rules, 2016. All pre-revised pay stages lower than pre-revised pay of ₹ 7,000 in the pre-revised -1S scale shall not be considered for determining the benefit of bunching, on the same lines as has been clarified by DoE, Ministry of Finance O.M. dated 03.08.2017, circulated vide Board's letter dated 27.09.2017 (RBE No. 139/2017) on application of the said benefit.

(Jaya Kumar G)
Deputy Director, Pay Commission-VII
Railway Board

No. PC-VII/2016/I/6/1

New Delhi, dated: 28/09/2017

Copy (with 40 spares) forwarded to the A.D.A.I., Railways, New Delhi.

G. Priya Sudarsani
For Financial Commissioner, Railways

No. PC-VII/2016/I/6/1

New Delhi, dated: 28/09/2017

Copy forwarded to:-

1. PFAs, All Indian Railways, PUs, NFR(Const)
2. The Principal, National Academy of Indian Railways, Vadodara.
3. The General Manager, CORE/Allahabad
4. The Director General, RDSO, Lucknow,
5. The General Manager and PFA, Metro Railway
6. The CAO and PFA, COFMOW/New Delhi
7. The CAO(Const), MTP(R)/Mumbai